

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)



(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक मर्दें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्ढा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2009/1931 (शक)]

अंक 3, सोमवार, 6 जुलाई, 2009/15 आषाढ़, 1931 (शक)

विषय	कॉलम
सामान्य बजट (2009-2010)	
श्री प्रणब मुखर्जी	36
राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विवरण.	36-37
वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009	
श्री प्रणब मुखर्जी	37-38

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

डा. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डा. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 6 जुलाई, 2009/15 आषाढ़, 1931 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

सामान्य बजट (2009-2010)

अध्यक्ष महोदया: माननीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2009-10 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

आज से मात्र 140 दिन पूर्व, मुझे 2009-10 का अंतरिम बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला था। यह मेरे लिए अत्यन्त गौरव की बात है कि मुझे नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद नियमित बजट प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया है।

कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार नए जनादेश के साथ फिर सत्ता में आयी है। जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने हाल ही में कहा था, “यह जनादेश निरन्तरता, स्थिरता और समृद्धि के लिए है। यह जनादेश समावेशी विकास और समतापरक विकास के लिए है।” हम इस जनादेश को विनम्रतापूर्वक और इस दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करते हैं कि हम इस राष्ट्र की भलाई के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहेंगे।

मैं जनता द्वारा हमारी सरकार में प्रकट किए गए विश्वास और तत्संबंधी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सचेत हूँ। मैं युवा भारत की बढ़ती हुई उम्मीदों की वृहत् चुनौती को भली-भांति समझता हूँ। यह युवा पीढ़ी व्यग्र परन्तु कर्मठ है और वह प्रदत्त अवसरों को हथियाने के लिए तत्पर है। हमारी फिर से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम उन अवसरों को पैदा करें, उनकी सुसाध्यता व निरन्तरता बनाए रखें।

वर्ष 2009-10 के अंतरिम बजट में, मैंने कहा था कि नई सरकार को 2009-10 के लिए, मध्यावधि परिप्रेक्ष्य में अपनी

नीतियों को दृढ़तर बनाने की आवश्यकता होगी जिनमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा:—

- (क) विस्तारित समयावधि के दौरान कम से कम 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर बनाए रखना;
- (ख) प्रति वर्ष लगभग 12 मिलियन नए कार्य अवसरों के सृजन हेतु समावेशी विकास संबंधी प्रणालियों को सुदृढ़ करना;
- (ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात को वर्तमान स्तरों से घटाकर वर्ष 2014 तक आधे से कम करना;
- (घ) यह सुनिश्चित करना कि भारतीय कृषि में 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि बनी रहे;
- (ङ) वर्ष 2014 तक, अवसंरचना में सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत से अधिक निवेश बढ़ाना;
- (च) वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने और निर्यात में विकास गति बनाए रखने हेतु भारतीय उद्योग की सहायता करना;
- (छ) देश में आर्थिक विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना और उसमें सुधार लाना;
- (ज) दुर्बल वर्गों को सीधे सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के अधिकार क्षेत्र और पहुंच को बढ़ाना;
- (झ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाना ताकि देश में निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाया जा सके;
- (ञ) वैश्विक मानकों की एक ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक, प्रगतिशील और पूर्ण विनियमित शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो समाज के सभी वर्गों की आकांक्षा को पूरी करे; और
- (ट) एकीकृत ऊर्जा नीति का पालन करते हुए ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ना।

सरकार इस कार्य में अन्तर्निहित चुनौतियों से वाकिफ है, विशेषकर ऐसे समय जब विश्व अभूतपूर्व वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। इसने भारत को भी प्रभावित किया है। हम जहां अपनी कथनी को करनी में बदलने के लिए कृतसंकल्प हैं, वहीं सदस्य इस बात को मानेंगे कि अकेले बजट भाषण से

हमारी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, ना ही केन्द्रीय बजट ऐसा करने का एकमात्र साधन है। फिर भी यह सरकार की दूरदृष्टि को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, विशेषकर तब, जब हम एक नया कार्यकाल आरंभ कर रहे हैं। अगले एकाध घंटे में मेरा ऐसा ही करने का प्रस्ताव है, जब मैं इन चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करूंगा और अल्पावधिक और मध्यावधिक परिप्रेक्ष्यों में सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित करूंगा।

पहली चुनौती है अर्थव्यवस्था में शीघ्रतिशीघ्र 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर फिर से प्राप्त करना। आय में वृद्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है परन्तु यह उन संसाधनों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जिन्हें यह सृजित करती है। ये संसाधन उन निर्णायक अन्तरालों को पाटने हेतु साधन उपलब्ध कराते हैं, जो हमारे विकासात्मक प्रयासों, विशेषकर हमारी जनसंख्या के दुर्बल वर्गों के कल्याण के संबंध में रह जाते हैं।

दूसरी चुनौती समावेशी विकास के एजेन्डे को सुदृढ़ और व्यापक बनाने की है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में प्रतिभागी होने और उससे लाभान्वित होने के अवसर से वंचित न रह जाए।

तीसरी चुनौती है सरकार में नई ऊर्जा का संचार करना और वितरण प्रणालियों में सुधार लाना। हमारी संस्थाओं को सभी नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही युक्त उच्च गुणवत्ता वाली लोक सेवाएं, सुरक्षा और कानून सम्मत शासन मुहैया कराना चाहिए।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

अध्यक्ष महोदया, अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया था। अपनी बात को दुहराए बिना, मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहूंगा कि पिछले पांच वर्षों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा प्रशस्त विकास का पथ, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी और राजस्व उगाही में तेजी के कारण संभव हुआ है। इस अवधि में संवृद्धि का मुख्य कारक निजी निवेश रहा है, जो प्रमुखतया घरेलू संसाधनों द्वारा निधिपोषित रहा है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में पिछले तीन वित्त वर्षों में 9 प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि हुई थी, जो वर्ष 2008-09 के दौरान कम होकर 6.7 प्रतिशत रह गयी है। इसने अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में रोजगार सृजन की गति और व्यापारिक समुदाय की निवेश भावनाओं को प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार की राजस्व वृद्धि में भी काफी कमी आई है। वर्ष 2008-09 की एक अन्य विशेषता अगस्त 2008 में थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 13 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि और मार्च 2009 में समान रूप से लगभग 0 प्रतिशत की तीव्र गिरावट है। इन घटनाक्रमों का विस्तृत विश्लेषण जहां गत बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों

में पेश आर्थिक समीक्षा 2008-09 में प्रस्तुत किया गया है, मैं कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा पिछले दस वर्षों में तेजी से बदला है। विदेशी व्यापार और वैदेशिक पूंजी प्रवाह अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग हैं और इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक का अंशदान है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में पण्य व्यापार (निर्यात तथा आयात) का हिस्सा पिछले दशक के दौरान दुगने से अधिक होकर 2008-09 में 38.9 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार, वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त व्यापार भी इस अवधि के दौरान दुगना होकर 47 प्रतिशत हो गया है। सकल पूंजी प्रवाह वैश्विक वित्तीय संकट के चलते गिरने से पूर्व, 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत से अधिक के शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी पूंजी के अंतर्वाह में महत्वपूर्ण वृद्धि बचत-निवेश अंतर को पाटने में इतनी अधिक नहीं है, अपितु अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की मध्यस्थता को सुसाध्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण है।

शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए एकीकरण ने नए अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। इसने उच्च संवृद्धि को बनाए रखने के कार्य को अधिक जटिल बना दिया है। पिछले एक माह के दौरान, हमने अल्पावधिक आर्थिक पुनरुत्थान तथा मध्यावधिक आर्थिक वृद्धि दोनों में सरकार के प्रयासों का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया है। आर्थिक पुनरुत्थान और वृद्धि, केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सामूहिक प्रयास है। अतः इस बजट की तैयारियों के भाग के रूप में, मैंने पहली बार राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। मैं हर वर्ष ऐसा करना चाहता हूं।

आर्थिक पुनरुत्थान की राह पर

अल्पावधिक उपाय

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए, सरकार ने मांग बढ़ाने तथा रोजगार और लोक आंस्तियां सृजित करने हेतु सरकारी परियोजनाओं पर बढ़े हुए व्यय के लिए कर राहत के रूप में तीन संकेन्द्रित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान कर इस दिशा में पहल की। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्पादक सेक्टरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली से निधियों के प्रवाह को सुसाध्य बनाने हेतु अनेक मौद्रिक सहजीकरण और नकदी बढ़ाने के उपाय किए।

इस राजकोषीय समायोजन से राजकोषीय घाटा, 2007-08 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 6.2

प्रतिशत हो गया। 2007-08 और 2008-09 के वास्तविक आंकड़ों के बीच आए अंतरों का कारण कुल राजकोषीय प्रोत्साहन रहे हैं। 2008-09 के लिए मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% पर राजकोषीय प्रोत्साहनों की राशि 1,86,000 करोड़ रुपये बैठती है।

ये उपाय 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में गिरावट रोकने में प्रभावशाली रहे और हमने 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। घरेलू उद्योग में पुनरुद्धार के संकेत हैं और लगता है कि विदेशी निवेशक भी पिछले दो महीनों से भारतीय बाजार में लौट रहे हैं। यह संभव है कि सितंबर 2008 में वैश्विक वित्तीय मंदी से प्रभावित दो बहुत खराब तिमाहियां निकल चुकी हैं। यद्यपि वैश्विक वित्तीय दशाओं ने हाल के कुछ महीनों में सुधार दर्शाए हैं, परन्तु वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से जुड़ी अनिश्चितताएं अभी बाकी हैं। इसलिए हम सावधानी बरतना नहीं छोड़ सकते हैं। हम अर्थव्यवस्था को और प्रोत्साहन देने के अपने प्रयास जारी रखेंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं जो अब प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये 'आरंभिक उपाय' हैं। मेरा प्रयास होगा कि बजट बनाने की प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण और निरंतर प्रक्रिया वाला बनाया जाए।

अवसंरचना विकास

हमने अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) का गठन किया था। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कम्पनी को अपना अधिदेश उचित ढंग से पूरा करने के लिए अधिक नम्यता प्रदान की जाए।

'वित्तपोषण प्राप्त करना' अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दीर्घावधिक निधियां जारी करने की एक स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। इसका प्रयोग अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण से उत्पन्न वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति देयता बेमेलता का प्रभावशाली ढंग से समाधान करने में किया जा सकेगा और इससे नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी भी सहज उपलब्ध होगी। आईआईएफसीएल बैंकों के साथ परामर्श करके 'वित्तपोषण प्राप्त करने' की योजना बनाएगा जो अवसंरचना क्षेत्र को वृद्धिकारी उधार देना सुसाध्य बनाएगी।

सरकार को दूरसंचार, विद्युत उत्पादन, हवाई-अड्डों, बन्दरगाहों, सड़कों जैसे अनेक अवसंरचना सेक्टरों में और यहां तक कि सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से रेलवे में भी निजी निवेश

आकर्षित करने में कुछ सफलता मिली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवसंरचना परियोजनाओं को मौजूदा मंदी से उत्पन्न वित्तपोषण संबंधी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जैसा मैंने अपने अंतरिम बजट भाषण में इंगित किया था, सरकार ने निर्णय लिया है कि आईआईएफसीएल अगले पंद्रह से अठारह महीने के दौरान महत्वपूर्ण सेक्टरों में सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के 60 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण करेगा। आईआईएफसीएल और बैंक अब अवसंरचना में 100 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली परियोजनाओं की सहायता करने की स्थिति में हैं। इन उपायों के साथ हम अवसंरचना में सरकारी निवेश बढ़ाना आरंभ कर रहे हैं। इससे ऐसे निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा।

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अवसंरचना में निवेश महत्वपूर्ण है। मैंने केन्द्र और राज्य सरकारों में अपने सहयोगियों से आग्रह किया है कि आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नीतिगत, विनियामक और संस्थागत अड़चनें दूर करें। मैं अपनी ओर से यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

राजमार्ग और रेलवे

मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवंटन, 2008-09 (बजट अनुमान) की तुलना में 23 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। मैंने रेलवे के लिए 2009-10 के अंतरिम बजट में किए गए 10,800 करोड़ रुपये के आवंटन को भी बढ़ाकर 15,800 करोड़ रुपये कर दिया है।

शहरी अवसंरचना

जवाहलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी अवसंरचना के महत्व पर राज्य सरकारों का ध्यान पुनःकेन्द्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इस मिशन की भूमिका को मान्यता देते हुए, मौजूदा बजट में इस योजना के लिए आवंटन 87 प्रतिशत बढ़ाकर 12,887 करोड़ रुपये किया जा रहा है। शहरी गरीबों की हालत सुधारने के लिए शहरी गरीबों को आवास और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु, मैं मौजूदा वर्ष के बजट आवंटन को बढ़ाकर 3973 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें राजीव आवास योजना नामक नई योजना के लिए प्रावधान है। इस योजना की घोषणा भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की थी। इस स्कीम के मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। इसका आशय पांच वर्ष की अवधि में देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाना है।

बृहन् मुंबई तूफानी जल निकासी परियोजना

मुंबई में बाढ़ की समस्या का समाधान करने के लिए, 2007 में बृहन् मुंबई तूफानी जल निकासी परियोजना आरंभ की गई थी। इस परियोजना की 1200 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण अनुमानित लागत केन्द्रीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित की जा रही है। 2008-09 तक, इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। मैंने, यह परियोजना शीघ्र पूरी करने के लिए, इस परियोजना हेतु अन्तरिम बजट अनुमान में किए गए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है।

विद्युत

त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं इस योजना के लिए आवंटन बढ़ाकर 2080 करोड़ रुपये करने का प्रावधान करता हूँ। यह 2008-09 के बजट अनुमान में किए गए आवंटन से 160 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि है।

गैस

हाल में देश के पूर्वी तट पर कृष्णा-गोदावरी थाले में मिली प्राकृतिक गैस से ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रही इस गैस का घरेलू उत्पादन दोगुना होना निश्चित है। देश में द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) अवसंरचना का भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार लंबी दूरी के गैस हाइवे के लिए एक खाका तैयार करने का प्रस्ताव करती है जिससे प्राकृतिक गैस ग्रिड का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे देश के कोने-कोने में गैस ले जाना आसान होगा।

असम गैस क्रेकर परियोजना

अप्रैल 2006 में स्वीकृत असम गैस क्रेकर परियोजना 5461 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के लिए 2138 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। इस परियोजना के लिए परिव्यय को उपयुक्त ढंग से बढ़ाया जा रहा है।

कृषि विकास

मैं अब कृषि विकास की ओर आता हूँ।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। हमारी 60 प्रतिशत जनसंख्या इससे अपना आहार प्राप्त करती है। अभी हाल में, इस क्षेत्र में आयोजना आवंटन और पूंजी निर्माण में पर्याप्त वृद्धि से, इस क्षेत्र ने लगभग 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।

2008-09 में कृषि ऋण प्रवाह 2,87,000 करोड़ रुपये था। 2009-10 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 3,25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज-दर पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋणों हेतु ब्याज सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के लिए सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 1 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देगी जो अपने अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देते हैं। इस प्रकार, इन किसानों के लिए ब्याज दर कम होकर 6 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी। मैं, इसके लिए, अन्तरिम ब.अ. की तुलना में 411 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान कर रहा हूँ।

किसानों के लिए ऋण राहत

अनुमानतः 40 मिलियन किसानों को समाविष्ट करते हुए लगभग 71,000 करोड़ रुपये की एक बारगी बैंक ऋण माफी पिछले बजट की मुख्य विशेषताओं की एक विशेषता थी। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (2008) के अंतर्गत, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को अपने अतिदेयों के 75% की अदायगी करने के लिए 30 जून, 2009 तक का समय दिया गया था। मानसून के विलंब से आने के कारण, मैं इस अवधि को 31 दिसंबर, 2009 तक छः महीने बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

यह पता लगा है कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों ने निजी ऋणदाताओं से ऋण ले रखे हैं और ऋण माफी योजना में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मुद्दे की व्यापक पड़ताल करने और भावी कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए, मैं एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव करता हूँ।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए, मैं अन्तरिम ब.अ. की तुलना में 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह वर्ष 2008-09 (ब.अ.) के आवंटन की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) संबंधी आवंटन में भी वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जा रही है।

निर्यात वृद्धि की पुनः प्राप्ति

हमारे निर्यातकों ने, वैदेशिक क्षेत्र में अपने संबंधों के बल पर, वैश्विक आर्थिक संकट के आवेश को बरदाश्त कर लिया है। अतः

यह उचित होगा कि हम अपने निर्यातकों को अल्पावधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखें। यह विशिष्ट रूप से इस प्रकार होगी:—

- (क) बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को 95 प्रतिशत वर्धित निर्मित ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) कवर प्रदान करने हेतु दिसम्बर, 2008 में समायोजन सहायता योजना शुरू की गयी थी जिससे कि निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। निर्यात में जारी संकुचन के मद्देनजर, मैं इस योजना के फायदों को मार्च 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।
- (ख) बाजार विकास सहायता योजना विकासशील नए बाजारों में निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। कई पारम्परिक बाजारों के अभी भी वित्तीय दबाव में होने के मद्देनजर, नए बाजारों को पहचानने और विकसित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस योजना के लिए ब.अ. 2008-09 की तुलना में 148 प्रतिशत की वृद्धि करके 124 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- (ग) वैश्विक मंदी से रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्र को मदद करने के उद्देश्य से, सरकार ने सात ऐसे क्षेत्रों के लिए लदान-पूर्व ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इन क्षेत्रों में हथकरघा सहित कपड़ा, हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और लघु एवं मध्यम निर्यातक शामिल हैं। मैं ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता की 30 सितम्बर, 2009 की मौजूदा समय-सीमा को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।
- (घ) अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) पर निर्यात में हुई मंदी का प्रभाव पड़ा है और घरेलू मांग पर वैश्विक संकट का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए, मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक विशेष निधि प्रदान कर उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रवाह को आसान बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। अतिलघु और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रदान करने के लिए, 4,000 करोड़ रुपए की यह निधि बैंकों और राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को प्रोत्साहित करेगी और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसई को 50 प्रतिशत वृद्धिकारी उधार प्रदान करने को पुनः वित्तपोषित किया जाएगा।

- (ङ) फरवरी, 2009 में, प्रिंट मीडिया को प्रोत्साहन पैकेज दिया गया जिसके तहत डीएवीपी विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत एजेंसी कमीशन की माफी और गैर-सरकारी विज्ञापनों में राजस्व हानि के दस्तावेजी प्रमाण देने पर विशेष राहत के रूप में अदा की जाने वाली डीएवीपी दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई। चूंकि प्रिंट मीडिया अभी भी कठिन दौर से गुजर रहा है, अतः मैंने प्रोत्साहन पैकेज को 30 जून, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक और छः माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

माध्यमिक निरंतरता

दीर्घावधिक विवेक और राजकोषीय निरंतरता के उद्देश्यों हेतु, अल्पावधिक राजकोषीय प्रोत्साहनों को संतुलित किया जाएगा। मैं **कौटिल्य** की इस उक्ति को उद्धृत करना चाहूंगा, “देश की समृद्धि के हित में, राजा को आपदाओं की संभावना का अनुमान लगाने में अध्यावसायी होना होगा, उनके घटित होने से पहले उन्हें टालने का प्रयास करना होगा, जो घटित हो गई हैं, उनसे निपटना होगा, आर्थिक क्रियाकलाप के सभी अवरोधों को दूर करना होगा और राज्य में होने वाली राजस्व हानि को रोकना होगा।” मैं **कौटिल्य** की सलाह मानकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट के नकारात्मक प्रभाव के समाप्त होते ही शीघ्रतिशीघ्र राजकोषीय घाटे के एफआरबीएम लक्ष्य पुनः प्राप्त करने का इरादा करता हूँ। मध्यावधिक राजकोषीय परिदृश्य के बारे में मुझे तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के लिए, हमें मौजूदा वर्ष में ही संस्थागत सुधार संबंधी उपाय करने होंगे। स्थिर भुगतान संतुलन, संतुलित ब्याज दर और कारपोरेट निवेश के लिए विदेशी पूंजी का निरंतर प्रवाह बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है। इन उपायों में बजट के सभी पहलू जैसे सब्सिडी, कर, व्यय और विनिवेश सम्मिलित होंगे।

उर्वरक सब्सिडी

राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, देश में वर्धित उर्वरक उपयोग से कृषि उत्पादकता में गिरावट चिंता का विषय है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का इरादा मौजूदा उत्पाद मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बजाए पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था लाने का है। इससे बाजार में उचित कीमतों पर नवीन उर्वरक उत्पादों की उपलब्धता होगी। उर्वरक विनिर्माण क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने से, इस क्षेत्र में नए निवेशों की संभावना बढ़ेगी। उचित समय पर, किसानों को सब्सिडी के सीधे अंतरण की प्रणाली अपनाने का भी इरादा है।

पेट्रोलियम और डीजल की मूल्य निर्धारण नीति

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को यह पता है कि तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के वैश्विक मूल्य वर्ष 2008-09 में अप्रत्याशित स्तरों तक बढ़ गए थे। हमारे पड़ोसी देशों सहित अधिकांश तेल आयातक देशों ने इन वैश्विक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने घरेलू मूल्यों को समायोजित कर लिया। यद्यपि तब से मूल्यों में गिरावट आ गई है, फिर भी ये मूल्य वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् के निम्न स्तरों के लगभग दुगने हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी तीन-चौथाई तेल खपत की पूर्ति आयात से की जाती है, अतः पेट्रोल और डीजल के घरेलू मूल्य मोटे तौर पर इन वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों के अनुरूप करने होंगे। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य और टिकाऊ प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करेगी। इसका ब्यौरा मेरे साथी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा।

कराधान

अब समय आ गया है कि हम उस प्रक्रिया को पूरा करें जिसे 1991 में विश्वास आधारित, सरल, निष्पक्ष कर प्रणाली के निर्माण के लिए शुरू किया गया था जिसमें प्रायः कोई छूट नहीं थी और दरें कम थीं और जिसकी रूपरेखा स्वैच्छिक अनुपालन के लिए तैयार की गई थी। आयकर विवरणी प्रपत्र सरल और प्रयोक्ता अनुकूल होना चाहिए। मैंने विभाग से, सरल-2 प्रपत्रों को शीघ्र प्रारंभ करने संबंधी कार्य करने के लिए कहा है। हमें एक ऐसी कर प्रणाली की आवश्यकता है जो, बलपूर्वक कर संग्रहण प्रविधि का उपयोग किए बिना ही, प्रत्येक वर्ष के अंत में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्थायी आधार पर राजस्व का सृजन करे। मेरी अभिलाषा मौजूदा वर्ष में इस दिशा में संतुलित शुरुआत करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया आगामी चार वर्षों में पूरी कर ली जाए। इस प्रक्रिया के अंत में, मैं आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि हमारे कर संग्राहक मधुमक्खियों की तरह हैं जो फूलों की शांति भंग किए बगैर, उनसे मधुरस का संग्रहण करते हैं परन्तु उनके पराग को फैलाते हैं जिससे कि सभी फूल खिलें और फल उत्पन्न करें।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर जनता का स्वामित्व

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और इस धन का भाग जनता के हाथ में रहना चाहिए। हमारे उद्यमों में कम से कम 51 प्रतिशत सरकारी इक्विटी प्रतिधारित करते हुए, मैं अपने विनिवेश कार्यक्रम में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यहां, स्पष्ट रूप से मेरा यह कहना है कि बैंक तथा

बीमा कंपनियों जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यम सरकारी क्षेत्र में ही रहेंगे। उन्हें विकसित होने तथा प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए पूंजी प्रोत्साहन सहित सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी।

वित्तीय क्षेत्र

वित्तीय क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की प्राण-शक्ति होता है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रति हमारी सरकार का रवैया, वित्तीय पहुंच का विस्तार करने और बाजारों की पैठ गहन करते समय सुदृढ़ पर्यवेक्षण और विनियमन सुनिश्चित करना रहा है। इस संतुलित तरीके की गुणवत्ता हालिया अनुभवों में प्रदर्शित हुई है, क्योंकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल ने भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को अपेक्षाकृत अप्रभावित रखा है। लगभग चालीस वर्ष पहले 14 जुलाई, 1969 को हमारी बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण करने का इंदिरा गांधी का साहसी निर्णय विगत कुछ महीनों में विवेकपूर्ण और दूरदर्शी साबित हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनके तौर-तरीकों से हमें प्रेरणा मिलती रही है, भले ही हम इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नई प्रौद्योगिकी ला रहे हैं।

भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में औसत सरकारी निर्गम 15 प्रतिशत से कम है। गहन गैर-छलसाधनीय बाजारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक और विविधीकृत शेयरधारिता की आवश्यकता है। यह शर्त एक समान रूप से निजी क्षेत्र तथा सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी लागू होनी चाहिए। मैं चरणबद्ध तरीके से, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए गैर-प्रवर्तनकारी सरकारी शेयरधारिता की प्रारंभिक सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

हमारे जैसे देश के लिए, जहां अधिकांश भाग और क्षेत्र बैंकिंग सुविधा से रहित हैं, वहां स्थायी दीर्घावधिक समता-मूलक विकास के लिए वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है। वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 'शून्य' या बहुत ही कम न्यूनतम शेष वाले "नो फ्रिल्स" खाते खोलते हैं। अब तक, इन बैंकों ने 3.3 करोड़ ऐसे खाते खोले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी शाखा प्राधिकृत करने की नीति में और अधिक ढील देने की घोषणा की है। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना ही सूचित करके ऑफ साइट एटीएम खोलने की अनुमति दी गई है।

देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बावजूद, अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें या तो आवश्यकता से कम बैंक हैं या हैं ही नहीं। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की उप-समिति ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी और आगामी 3 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के निमित्त कार्य योजना तैयार करेगी। मैं, देश के प्रत्येक बैंक रहित ब्लॉक में बैंकिंग सेवा के लिए कम से कम

एक केन्द्र/बिक्री केन्द्र की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा वर्ष के दौरान एक बारगी सहायता अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की है। यह बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने तथा उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले प्रभावों को रोकने के लिए एक स्वायत्तशासी विनियामक निकाय है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अपीलीय निकाय भी बनाया गया है।

प्रतिस्पर्धा के फायदे अब अधिकाधिक क्षेत्रों और उनके प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं को मिलने चाहिए। अब हमारे लिए आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने, उत्पादकता बढ़ाने, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम करने तथा गुणवत्ता बढ़ाने के निमित्त इन पहलुओं पर कार्य करने का समय आ गया है।

निवेश माहौल

निजी क्षेत्र का निवेश वैश्विक वृहत् आर्थिक स्थितियों से प्रभावित हुआ है। हमारी सरकार ऐसा अनुकूल माहौल बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र बढ़ सकता है और राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपनी उचित भूमिका निभा सकता है। वर्ष 2004 से 2008 तक भारत की वार्षिक 8.5 प्रतिशत की उच्च विकास दर का बहुत बड़ा भाग निजी निवेश से जुटाया गया था। मैं उद्योग और अपने गतिशील उद्यमी समुदाय के साथ मिलकर कार्य करने के लिए उत्सुक हूँ ताकि उनकी बाकी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

समावेशी विकास की ओर

अध्यक्ष महोदया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने विकास की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसमें कमजोर वर्गों को बुनियादी सुख-सुविधाएं तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने की कानूनी गारंटी देकर हकदारी देना शामिल है। अब "आम आदमी" हमारे सभी कार्यक्रमों और स्कीमों का केन्द्र-बिन्दु है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)

- (1) यह सर्वविदित है कि फरवरी 2006 से पहली बार कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) बेहद सफल रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान,

नरेगा द्वारा 2007-08 में शामिल किए गए 3.39 करोड़ परिवारों की तुलना में 4.47 करोड़ से भी अधिक परिवारों को रोजगार अवसर प्रदान किए गए। हम नरेगा के तहत हकदारी के रूप में प्रतिदिन 100 रुपए की वास्तविक मजदूरी देने के लिए वचनबद्ध हैं। नरेगा के अधीन आस्तियों की उत्पादकता एवं संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य स्कीमों को एक केन्द्राभिमुख लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। पहली अवस्था में, ऐसे केन्द्राभिमुख के लिए कुल 115 प्रायोगिक जिलों को चुना गया है। इन उपायों और केन्द्राभिमुखता के दिशानिर्देशों का ब्यौरा मेरे साथी, ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिया जाएगा। मैं नरेगा के निमित्त वर्ष 2009-10 के लिए 39,100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 144 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

- (2) मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी कार्य ईमानदारीपूर्वक शुरू किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार 3 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति माह 25 किलो चावल या गेहूं के लिए कानूनी रूप से हकदार होगा। सरकार सार्वजनिक परिचर्या तथा परामर्श के लिए बहुत जल्दी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा रखना चाहती है।

भारत निर्माण

- (3) भारत निर्माण, अपनी छह योजनाओं के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अन्तर को पाटने तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन स्तर सुधारने की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है। मैं भारत निर्माण के लिए 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 में 45 प्रतिशत अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत निर्माण के अंतर्गत इसके सफल कार्यक्रमों में से एक है। मैं इस कार्यक्रम के लिए यह आवंटन, बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए भी 7000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 2008-09 (ब.अ.) की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है।

- (4) इंदिरा आवास योजना के लिए बजट अनुमान 2009-10 में आबंटन को 63 प्रतिशत बढ़ाकर 8800 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण आवास निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए, मैं वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने में आयी कमी से राष्ट्रीय आवास बैंक में ग्रामीण आवास निधि के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह ग्रामीण आवास के क्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बोर्ड के संसाधन आधार को उनके पुनर्वित्तपोषण कार्यों के लिए मजबूती प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- (5) लगभग 44,000 ऐसे गांव हैं जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना, 1000 ऐसे गांवों के एकीकृत विकास के लिए, प्रायोगिक आधार पर आरंभ की जा रही है। मैं इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत प्रत्येक गांव आवंटन के अलावा, 10 लाख रुपए का अन्तराल निधि पोषण प्राप्त कर सकेगा। प्रायोगिक चरण के सफल कार्यान्वयन पर, आगामी वर्षों में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि यह 2014-15 तक सभी के लिए लागू हो और गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण में ध्यान देकर समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। महिला स्व-सहायता समूह के निर्माण पर बल दिया जाएगा। वर्धित दर पर पूंजी सब्सिडी मुहैया कराने के अलावा, बैंकों से लिए गए एक लाख रुपए तक के ऋणों के लिए गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है।

महिला स्व-सहायता समूह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। आज लगभग 22 लाख ऐसे समूह बैंकों से संबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में भारत की सभी ग्रामीण महिलाओं के कम से कम 50 प्रतिशत को स्व-सहायता समूह के सदस्यों के रूप में पंजीकृत करना और इन स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना है।

राष्ट्रीय महिला कोष गरीब महिलाओं को ऋण सहायता या अतिरिक्त वित्तपोषण सुकर बनाने के लिए कार्य करता रहा है।

उनके फायदे के लिए इसने अनेक नवीन योजनाएं बनायी हैं। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में इस कोष की वर्तमान 100 करोड़ रुपए की मूल निधि को आगामी पांच वर्षों में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।

महिला साक्षरता

महिला साक्षरता का निम्न स्तर गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। अतः राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य उपेक्षित वर्गों पर ध्यान दिया जा सके। इसका लक्ष्य तीन वर्षों में महिला साक्षरता के मौजूदा स्तर को कम करके आधा करना है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

सरकार देश में एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के सार्वभौमिकीकरण के लिए वचनबद्ध है। मार्च 2012 तक, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत गुणवत्ता सहित सभी सेवाएं छह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रदान की जाएंगी।

कमजोर वर्ग के छात्रों को ऋण

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा हासिल करने में समर्थ बनाने के लिए, ऋण स्थगन अवधि के दौरान उन्हें पूरी ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें भारत में मान्यताप्राप्त संस्थानों से तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में किसी भी अनुमोदित पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु ऐसे छात्रों द्वारा अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋण शामिल होंगे। अनुमान है कि इसमें 5 लाख अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

हमारी अर्थव्यवस्था का असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का 92% हिस्सा है और यह हमारी श्रम शक्ति में होने वाली वार्षिक बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 अब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की है कि बुनकरों, मछुआरों तथा महिलाओं, ताड़ी निकालने वालों, चमड़ा तथा हस्तशिल्प कामगारों, बागान मजदूरों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, खनन में लगे मजदूरों, बीड़ी कामगारों तथा रिक्शा चालकों जैसे रोजगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित की जाएं। इन योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय आबंटन किया जाएगा।

रोजगार कार्यालय

मैं सरकारी-निजी भागीदारी में रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण की एक नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि रोजगार चाहने वाला कहीं से भी ऑन लाईन पंजीकरण कर सके तथा किसी भी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सके। इस परियोजना के तहत, साझा साफ्टवेयर के साथ एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसमें एक ओर कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता के संबंध में, वहीं दूसरी ओर उद्योग के पास कुशल व्यक्तियों की मांग संबंधी संपूर्ण डाटा होगा। इससे युवकों को रोजगार पाने में मदद मिलेगी और उद्योग वास्तविक समय आधार पर जरूरी कुशल कारीगर प्राप्त कर सकेगा।

हथकरघा

पिछले बजट में वाराणसी तथा शिवसागर में एक-एक क्लस्टर मेगा हथकरघा समूह और इरोड तथा भिवंडी में एक-एक मेगा बिजली करघा क्लस्टर अनुमोदित किए गए थे। इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। मैं पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में एक-एक हथकरघा मेगा समूह और राजस्थान में एक बिजली करघा मेगा समूह स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग की शानदार परंपरा बनाए रखने तथा राजस्थान में हजारों रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, मैं श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) तथा मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में कालीन उद्योग के लिए नए मेगा क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सभी के लिए स्वास्थ्य का हमारा लक्ष्य हासिल करने का जरूरी साधन है। मैं अन्तरिम बजट में मुहैया कराए गए 12070 करोड़ रुपए के अलावा 2057 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव करता हूँ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पिछले वर्ष क्रियान्वित की गयी थी। आरंभिक अनुक्रियाएं बड़ी अच्छी रही हैं। 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 46 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना से गरीब परिवार निजी अस्पतालों सहित अस्पतालों की विस्तृत सूची में से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हासिल करने के लिए अपनी पसंद का अस्पताल चुनने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। सरकार सभी बीपीएल परिवारों को इस स्कीम के तहत लाने का प्रस्ताव करती है। पिछले आबंटन की अपेक्षा 40% की बढ़ोतरी करते हुए बजट अनुमान 2009-10 में 350 करोड़ रुपए की राशि मुहैया की जा रही है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

पिछले वर्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने तथा हमारे विकास के पथ की पारिस्थितिकीय टिकाऊपन बढ़ाने की हमारी कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसरण में आठ राष्ट्रीय मिशनों की शुरुआत की जा रही है जिनमें बहु-आयामी, दीर्घवधिक तथा एकीकृत दृष्टिकोण होगा।

हमारी सरकार “राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण” पहले ही स्थापित कर चुकी है। मैं राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण योजनाओं के लिए, 2008-09 में किए गए 335 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 2009-10 में 562 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून को उनके द्वारा अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य को स्वीकारते हुए, 100 करोड़ रुपए का विशेष एकबारगी अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण के लिए 15-15 करोड़ रुपए का भी प्रस्ताव करता हूँ। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के लिए 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जा रहा है।

जवाबदेह संस्थाओं के निर्माण की ओर**सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार**

अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने तथा उसे अधिक समावेशी बनाने के लिए, सरकारों और निजी दोनों महत्वपूर्ण संसाधन जुटाए जाते हैं। इनका कार्यक्षम वितरण सरकारी कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। केन्द्र तथा कई राज्यों में सूचना अधिकार अधिनियम का अधिनियमन इस दिशा में महत्वपूर्ण और सफल कदम रहा है। इससे सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की शुरुआत हुई है।

भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) स्थापित करना, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के संबंध में अभिशासन बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना मेरे हृदय में वास करती है। यह जानकर मैं प्रसन्न हूँ कि यह परियोजना एक ऐसे युग की शुरुआत कर रही है जहां भारत में निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यावश्यक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। यह प्राधिकरण भारतीय निवासियों की पहचान तथा बायोमेट्रिक विवरणों का एक आन लाईन डाटाबेस स्थापित करेगा और देशभर में

नामांकन और सत्यापन सेवाएं मुहैया कराएगा। अनन्य पहचान संस्थाओं की प्रथम शृंखला 12 से 18 महीनों में तैयार होगी। मैंने इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

राज्यों में पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतरिम बजट में किए गए 430 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया जा रहा है। सरकार ने अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों के लिए रक्षा बलों के समतुल्य विशेष जोखिम/कठिनाई भत्ता भी स्वीकृत किया है। इन भत्तों के भुगतान संबंधी प्रावधान भी बजट में प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करने के लिए अंतरिम बजट में किए गए प्रावधानों के अलावा, 2284 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़, सड़कें, फ्लड लाइटों के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है।

अर्ध सैनिक बलों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी की जा रही है। इसके लिए, खास तौर पर आवास के क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचना सृजित करने में अधिक निवेश की जरूरत होगी। इसलिए सरकार केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल कर्मियों के लिए 1 लाख निवास इकाइयों के सृजन के लिए आवास निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती है। इससे न केवल इन बलों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकार के वार्षिक बजटीय साधन भी बढ़ेंगे तथा एक नवीन वित्तपोषण मॉडल तैयार होगा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी)

हमारा देश अपने बहादुर भूतपूर्व सैनिकों की कृतज्ञता का बहुत ऋणी है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली ओआरओपी संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इन सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने आफिसर रैंक से नीचे (पीबीओआर) के रक्षा पेंशनरों की 1.1.2006 से पूर्व की पेंशन में पर्याप्त सुधार करने और 10.10.1997 से पहले के पेंशनरों को 10.10.1997 के बाद पेंशनरों के समकक्ष लाने का निर्णय लिया है। इन दोनों निर्णयों को 1 जुलाई, 2009 से कार्यान्वित किया जाएगा जिसके फलस्वरूप 12 लाख से अधिक जवानों और जेसीओ की पेंशन बढ़ जाएगी। इन उपायों से राजकोष पर 2100 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक भार पड़ेगा। उदारीकृत पेंशन लाभों को युद्ध में घायल और अन्य विकलांग पेंशनरों को दिए जा रहे कतिपय पेंशन लाभों को भी उदारीकृत किया जा रहा है।

शिक्षा

भारत का जनसांख्यिकीय लाभ नौजवान लोगों के एक बड़े हिस्से के रूप में है जिसे उचित शिक्षा तथा दक्षता उपलब्ध कराकर गतिशील आर्थिक लाभ में परिणत किए जाने की आवश्यकता है। 'आईसीटी के जरिए शिक्षा मिशन' नामक योजना में प्रावधान को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार, दक्षता विकास मिशन के अंतर्गत पोलिटेक्निकों की स्थापना तथा उन्नयन के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 495 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार कवर न किए गए प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की अपनी मंशा को आगे बढ़ाएगी। इस प्रयोजनार्थ, मैं 827 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ। मैं आईआईटी और एनआईटी के लिए भी 2113 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ जिसमें नए आईआईटी तथा एनआईटी के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। उच्च शिक्षा हेतु समग्र आयोजना बजट को अन्तरिम ब.अ. की तुलना में 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में सुविधाओं में सुधार की जरूरत है। इसलिए, मैं इस विश्वविद्यालय हेतु 50 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। लोगों को बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु संघ राज्य प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए, मैं मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान चंडीगढ़ हेतु आयोजना आवंटन में यथोचित वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ।

राष्ट्रमंडल खेल 2010

राष्ट्रमंडल खेल देश को एक उभरती एशियाई शक्ति के रूप में हमारी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रस्तुत करते हैं। मैं राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अन्तरिम बजट में किए गए 2112 करोड़ रुपए के बजट आवंटन को काफी बढ़ाकर बजट 2009-10 में 3472 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, क्षमा करना। "अल्पसंख्यक कल्याण" के संबंध में मुझसे पैरा 53 और 54 छूट गए हैं। यह पेज छूट गया था। आपकी अनुमति से मैं इसे अब पढ़ना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का आयोजना परिव्यय ब.अ. 2008-09 में 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2009-10 में 1740 करोड़ रुपए किया गया जो 74% अधिक है। इसमें चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान-सहायता, जो

प्रायः दोगुनी है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के प्रावधान हेतु 990 करोड़ रुपए शामिल हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की नई स्कीमों तथा राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता-अनुदान देने के लिए भी आबंटन किए गए हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा केरल में मल्लपुरम में अपने कैंपस स्थापित करने का निर्णय लिया है। मैं इन दोनों कैंपसों को 25-25 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

श्री प्रणब मुखर्जी: अध्यक्ष महोदया, भूल के लिए मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब आप इसे पढ़ चुके हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: अध्यक्ष महोदया, सरकार श्रीलंका के तमिलों को श्रीलंका की प्रादेशिक सम्प्रभुता और उसके संविधान के अंतर्गत उनके अधिकारों और वैध आकांक्षाओं को सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। विदेश मंत्रालय श्रीलंका सरकार के साथ इस संबंध में निकट सम्पर्क बनाए हुए है। मैं आन्तरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, मई 2009 के अंतिम सप्ताह में पश्चिम बंगाल के तट पर आए भीषण चक्रवात आइला से सड़कों, घरों और आधारभूत संरचना को भारी नुकसान पहुंचा। आपदा राहत निधि (सीआरएफ) से जहां तुरन्त अन्तरिम राहत उपलब्ध करायी गयी, वहीं क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम भी तैयार करना प्रस्तावित है। इस प्रयोजनार्थ, मैं 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

बजट अनुमान 2009-10

अध्यक्ष महोदया, अब मैं वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों पर प्रकाश डालता हूँ।

बजट अनुमान 2009-10 में 10,20,838 करोड़ रुपए के कुल व्यय की व्यवस्था है जिसमें 6,95,689 करोड़ रुपए का आयोजना-भिन्न व्यय और 3,25,149 करोड़ रुपए का आयोजना व्यय शामिल है। ब.अ. 2008-09 की तुलना में आयोजना-भिन्न व्यय में 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि आयोजना व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब.अ. 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में व्यय में कुल वृद्धि 36 प्रतिशत हुई।

आयोजना-भिन्न व्यय में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वर्धित खाद्य सब्सिडी और वर्ष 2008-09 में अधिक राजकोषीय घाटे की वजह से उच्च ब्याज अदायगी का होना है। ब्याज अदायगियां 2,25,511 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जो ब.अ. 2009-10 में आयोजना-भिन्न राजस्व का लगभग 36 प्रतिशत होती हैं। सब्सिडियों के लिए कुल प्रावधान ब.अ. 2008-09 में 71,431 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2009-10 में 1,11,276 करोड़ रुपए हो गया। रक्षा परिव्यय ब.अ. 2008-09 में 1,05,600 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2009-10 में 1,41,703 करोड़ रुपए हो गया।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 2009-10 का अन्तरिम बजट पेश करते समय यह कहा था कि वर्ष 2009-10 के लिए आयोजना व्यय में वैश्विक मंदी तथा आर्थिक मंदी के प्रभाव को कम करने हेतु प्रतिचक्र्रीय उपायों के भाग के रूप में और बढ़ोत्तरी करनी पड़ सकती है। सेनवैट तथा सेवा कर दरों में कटौती के कारण सीमित राजकोषीय गुंजाइश की पृष्ठभूमि के मुकाबले सरकार ने वार्षिक आयोजना 2009-10 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) को, 2009 के अन्तरिम बजट की तुलना में 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का सुविचारित तथा साहसिक निर्णय लिया है। इस वर्धित जीबीएस की बढ़ी राशि का अधिकांश हिस्सा आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश के लिए निर्दिष्ट है, जिसमें विकास सम्भावना को बढ़ाकर और आय-सृजन की तरफ बढ़ते हुए ग्रामीण आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को एफआरबीएम के अंतर्गत उनके जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा लक्ष्यों में घट कर उनके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे राज्य सरकारें मौजूदा वर्ष में लगभग 21,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुक्त बाजार ऋण जुटाने में सक्षम होंगी। दूसरे शब्दों में, केन्द्र तथा राज्यों का संयुक्त कुल अतिरिक्त आयोजना व्यय, अन्तरिम बजट की अपेक्षा 61,000 करोड़ रुपए होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह राजकोषीय विस्तार आगे चलकर आर्थिक मंदी के प्रभाव को उलट देगा और मध्यावधि में हमारी विकास वृद्धि की बहाली में तेजी लाएगा।

अध्यक्ष महोदया, मौजूदा वर्ष में आर्थिक मंदी के बने रहने की सम्भावना को देखते हुए, सकल कर प्राप्तियां ब.अ. 2009-10 में 6,41,079 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि ब.अ. 2008-09 में ये 6,87,715 करोड़ रुपए थीं। तथापि, कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के बेहतर होने का अनुमान है जो ब.अ. 2008-09 में 95,785 करोड़ रुपए की तुलना में ब.अ. 2009-10 में 1,40,279 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा, ब.अ. 2008-09 में 1 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत अनुमानित है और 2008-09 के अनन्तम लेखाओं के अनुसार यह 4.6 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, ब.अ. 2008-09 में

2.5 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत अनुमानित है और 2008-09 के अनन्तिम लेखाओं के अनुसार 6.2 प्रतिशत है। घाटे का यह स्तर चिन्ता का विषय है। सरकार यथा सम्भव राजकोषीय समेकन के रास्ते पर वापस आने के लिए इस मुद्दे का पूरी ईमानदारी से समाधान खोजेगी।

अध्यक्ष महोदया, अपने कर प्रस्तावों की तरफ बढ़ने से पहले, मैं कौटिल्य का उल्लेख करने का लोभ-संवरण नहीं कर सकता। उनके कथन को मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा “जिस प्रकार कोई व्यक्ति बगीचे से पके फलों को तोड़ता है, उसी प्रकार एक राजा तभी राजस्व संग्रहित करता है, जब वह देय हो जाता है। जिस प्रकार कोई बिना पके फलों को एकत्र नहीं करता, उसी प्रकार राजा देय न हुए धन को लेने से बचेगा क्योंकि ऐसा न करने पर लोग क्रोधित होंगे और राजस्व के स्रोत को ही नष्ट कर देंगे।”

इस संबंध में आगे बोलने से पहले मैं एक घूंट पानी पीना चाहता हूँ।

भाग - ख

कर प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदया, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, इस सरकार के पिछले कार्यकाल सहित, विगत कुछ वर्षों के दौरान सुधारों का जोर हमारी कर प्रणाली की कार्यक्षमता और साम्या में सुधार लाने पर रहा है। कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करके, कराधान के संतुलित स्तर लागू करके और कराधार का विस्तार करके इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इन नीतिगत परिवर्तनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए, स्वचालन प्रणाली अपनाने सहित प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं की वांछित री-इंजिनियरिंग की गई है। प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में, कार्यक्षमता में और अधिक सुधार लाने के लिए हाल ही में बेंगलुरु में एक केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग सेन्टर (सीपीसी) की स्थापना करने की पहल की गई है। इस केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गई सभी विवरणियों और सम्पूर्ण कर्नाटक में दाखिल की गई कागजी विवरणियों पर कार्रवाई की जाएगी।

इन कर सुधार संबंधी प्रयासों से प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। केन्द्र का कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़ कर 2008-09 में 11.5 प्रतिशत हो गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व में इस प्रभावशाली वृद्धि का कारण वस्तुतः प्रत्यक्ष करों में वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र के कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 2003-04 में 41 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 56 प्रतिशत हो गया है, जो हमारी कर प्रणाली की साम्या में तीव्र सुधार को परिलक्षित करता है। सरकार कर सुधारों की इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है।

इस बजट को तैयार करने की अवधि में, मुझे बड़ी संख्या में पण्यधारियों (स्टेकहोल्डरों) से संवाद करने और उनसे बहुमूल्य विचार प्राप्त करने का अवसर मिला। अधिकांश सुझाव कर प्रणाली में ढांचागत परिवर्तनों के संबंध में थे। सभी सुधारों की तरह, कर सुधार एक प्रक्रिया है, न कि एक घटना। अतः मैं प्रत्यक्ष करों के संबंध में आगामी 45 दिन के भीतर नया प्रत्यक्ष कर कोड जारी करके और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में, 1 अप्रैल 2010 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सुचारू शुरुआत करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर ढांचागत परिवर्तनों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

प्रत्यक्ष कर कोड, एक परिचर्चा दस्तावेज सहित, आम जनता में बहस के लिए जारी किया जाएगा। प्राप्त विचारों के आधार पर, सरकार प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक को अन्तिम रूप देगी ताकि उसे शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किसी समय इस सदन में प्रस्तुत किया जा सके।

कर प्रशासन की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ाने के लिए, मेरा संगत अधिनियमों में संशोधन करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी अग्रिम विनिर्णय के दो प्राधिकरणों का विलय करने का इरादा है। इससे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अप्रत्यक्ष करों के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य कर सकेगा।

मुझे बताया गया है कि राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर की कार्ययोजना और संरचना तैयार करने में काफी प्रगति की है। केन्द्र सरकार के अधिकारियों को भी इस कवायद में सहयोजित किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अपने मिले-जुले प्रयासों से वे संविधान में प्रतिष्ठापित राजकोषीय संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप इसके मूल ढांचे पर एक सहमति पर पहुंच चुके हैं। मैं राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति का उनके अथक प्रयासों के लिए अभिनन्दन करता हूँ। वस्तु एवं सेवा कर मॉडल की मोटे तौर पर रूपरेखा यह है कि यह एक दोहरा वस्तु एवं सेवा कर होगा, जिसमें एक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एक राज्य वस्तु एवं सेवा कर शामिल होगा। केन्द्र और राज्य क्रमशः केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के संबंध में कानून बनाएंगे, उद्ग्रहण करेंगे और उन्हें प्रशासित करेंगे। मैं सभी पण्यधारियों के साथ विधिवत परामर्श के बाद 1 अप्रैल 2010 तक वस्तु एवं सेवाकर लागू करने को सुविधाजनक बनाने हेतु केन्द्र सरकार की उत्प्रेरक भूमिका को और सशक्त बनाऊंगा।

प्रत्यक्ष कर

मैं, अब प्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, कारपोरेट सेक्टर से कर दरों में कमी की मांगें उठती रही हैं। तथापि कर दरें कराधार के आकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं; यदि कराधार उच्च है तो कर दरें न्यून हो सकती हैं। आयकर अधिनियम में बहुविध कर छूटों की भरमार है जिससे कराधार में बहुत हद तक कमी आ जाती है। इस क्षरण की सीमा को परित्यक्त राजस्व विवरणी के रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि की अपेक्षा, प्ररित्यक्त प्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि सापेक्षिक रूप से अधिक है। तदनुसार, मेरा कारपोरेट कर दरों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

छोटे और सीमान्त करदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को अन्तरिम राहत प्रदान करने की दृष्टि से, मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैयक्तिक आय कर की छूट की सीमा 15,000 रुपए बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए से 2.40 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, मैं महिला करदाताओं के लिए यह छूट सीमा 10,000 रुपए बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए से 1.90 लाख रुपए और व्यष्टि करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों के लिए 10,000 रुपए बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए से 1.60 लाख रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, मैं गंभीर निःशक्तताग्रस्त आश्रित व्यक्ति की चिकित्सा परिचर्या सहित भरण-पोषण के संबंध में धारा 80-घघ के अधीन कटौती को भी 75,000 रुपए की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विगत में, आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाली राजस्व संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिभार लगाए जाते रहे हैं। सरकार ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए संसाधनों के निर्माण हेतु प्राकृतिक आपदा निधि की स्थापना की। इसके परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष करों पर अधिभार हटाया जाना चाहिए। तथापि, इसे सरकार की राजस्व संबंधी आवश्यकताओं के साथ संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। अतः प्रथमतया, मैं वैयक्तिक आय-कर पर 10 प्रतिशत का अधिभार समाप्त करके विभिन्न प्रत्यक्ष करों पर अधिभार को क्रमिक रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

आय-कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत निर्यात लाभों के संबंध में कटौती उपलब्ध है। इन धाराओं के अंतर्गत कटौती वित्त वर्ष 2009-10 से आगे उपलब्ध नहीं होगी। निर्यात में मंदी का सामना करने के लिए, मैं इन करावकाशों के संबंध में सीमान्त खण्डों को एक और वर्ष यानि वित्त वर्ष 2010-11 के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वित्त अधिनियम, 2005 में अनुषंगी लाभ कर की शुरुआत की गयी थी जो नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए कतिपय अनुषंगी लाभों के मूल्य से सम्बद्ध है। इस कर को

पर्याप्त अनुपालना भार-लादने के रूप में समझा गया है। इन भावनाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए, मैं अनुषंगी लाभ कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

किसी अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्द्धी क्षमता अनुसंधान तथा विकास (आर. एंड डी.) के क्षेत्र में इसकी प्रगति पर निर्भर करती है। आर. एंड डी. कार्य निष्पादित करने हेतु कारपोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं एक लघु निषेध सूची को छोड़कर, सभी विनिर्माण व्यवसायों के संबंध में आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास पर होने वाले व्यय पर 150 प्रतिशत की भारत कटौती के मौजूदा प्रावधान की सीमा का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

आयकर अधिनियम की मौजूदा योजना के अंतर्गत, कर छूटें अधिकांशतः लाभ से सम्बद्ध हैं। ऐसे प्रोत्साहन स्वभावतः अक्षम और दुरुपयोग का कारण हैं। इसलिए, निवेश सम्बद्ध कर छूटें उपलब्ध कराकर व्यवसायों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इसको शुरू करने हेतु, मैं व्यवसायों के संबंध में निवेश सम्बद्ध कर प्रोत्साहनों को विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो 'कोल्ड चैन' की स्थापना और संचालन, कृषि उपज के भंडारण हेतु भाण्डागार सुविधाएं तथा सामान्य वाहक सिद्धान्त पर वितरण हेतु सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक गैस अथवा कच्चे अथवा पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने और उसे संचालित करने से सम्बद्ध होगा। इस विधि के तहत, भूमि सदाशयता तथा वित्तीय लिखतों पर होने वाले व्यय को छोड़कर सभी पूंजीगत व्यय पूर्णतः कटौती रूप में अनुपत होंगे।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की शुरुआत कारपोरेट करदाताओं के कराधान में असमता को दूर करने हेतु की गयी थी। बेहतर समता की तलाश हेतु, मैं मैट की दर में बढ़ोत्तरी करके बही लाभों की 10 प्रतिशत की मौजूदा दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, कारपोरेट करदाताओं को राहत प्रदान करने हेतु, मैं मैट के अंतर्गत कर ऋण की अग्रेनीत अनुमत सात वर्षों की अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) भारत में टिकाऊ, सक्षम, स्वैच्छिक तथा परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जबकि नई पेंशन योजना के अंतर्गत बचतों पर निवेश और उस पर उपार्जित ब्याज दो स्तरों पर कर छूट और आहरण के स्तर पर करारोपण (बचतों के कर संव्यवहार की ईईटी पद्धति) जारी रहेगी, वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव है कि इस अति आवश्यक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना हेतु एनपीएस को आवश्यक राजकोषीय सहायता उपलब्ध करायी जाए। तदनुसार, मैं एनपीएस ट्रस्ट की आय और लाभांश वितरण कर से इस ट्रस्ट को

भुगतान किए जाने वाले किसी भी लाभांश को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, एनपीएस ट्रस्ट द्वारा इक्विटी शेयरों तथा व्युत्पन्नों की समस्त खरीद तथा बिक्री को भी प्रतिभूति लेन-देन कर से छूट प्राप्त होगी। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि स्व-नियोजित व्यक्ति एनपीएस में सहभागी बनें और तत्संबंधी उपलब्ध कर लाभों को प्राप्त करें।

देश में निवेश के माहौल में और सुधार के लिए, हमें विदेशी कम्पनियों द्वारा सामना किए जा रहे कर विवादों को एक उचित समय-सीमा के भीतर सुलझाने हेतु सुगम बनाने की आवश्यकता है। यह विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कम्पनियों के लिए प्रासंगिक होगा। इसलिए, मैं अन्तरण मूल्य निर्धारण विवादों के समाधान हेतु आयकर विभाग के अंतर्गत एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों में अन्तरण मूल्यों के निर्धारण में न्यायिक भूलों के प्रभाव को कम करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को 'सेफ हार्बर' नियमों को तैयार करने के लिए सशक्त बनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सांसद निधि खत्म करो, हम लोग बदनाम हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: कृपया मेरी बात सुनें और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: श्री मुलायम सिंह जी, यह महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, वे इसका इंतजार कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए, इसके बाद पूछिए।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, कृपया शांत रहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: वित्त अधिनियम, 2008 ने वस्तु लेन-देन कर (सीटीटी) की शुरुआत की जो मान्यता प्राप्त एसोसिएशन में दर्ज कर योग्य वस्तुओं के लेन-देन में लगाया जाता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सीटीटी को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसलिए, मैं वस्तु लेन-देन कर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सदन इस बात से सहमत होगा कि देश में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता लाना वांछनीय है। राजनीतिक दलों के वित्तपोषण की व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि निर्वाचन ट्रस्टों में दिए गए दान को दानकर्ता की आय की संगणना में 100 प्रतिशत की कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, निर्वाचन ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट होंगे जिनकी स्थापना राजनीतिक दलों तक दान पहुंचाने में एक मध्यस्थ वाहक की भूमिका का निर्वहन करेगी तथा जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

आयकर अधिनियम की धारा 80ड में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज के संबंध में कटौती की व्यवस्था है। मैं इस प्रस्ताव की सीमा को विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यावसायिक अध्ययनों सहित अध्ययन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

धर्मार्थ संस्थाओं को दिए जाने वाले अनाम दान वर्तमान में कर योग्य हैं ताकि अनाम दान के रूप में ऐसी संस्थाओं में आने वाले लेखा-बाह्य धन को रोका जा सके, तथापि कुछ संगठन प्रक्रियात्मक शर्तों का अनुपालन करने में वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे धर्मार्थ संगठनों के समक्ष आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को कम करने हेतु, मैं ऐसे संगठनों के अनाम दानों पर कर न लगाकर राहत प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ जो उनकी कुल आय की 5 प्रतिशत सीमा तक अथवा 1 लाख रुपए की राशि, जो भी अधिक हो, के अंतर्गत हो।

सभी लघु कर दाताओं के व्यावसायिक कार्यों में सुविधा के लिए तथा उनके अनुपालन भार को कम करने हेतु मैं 40 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले समस्त लघु व्यवसायियों के संबंध में प्रकल्पित कराधान की सीमा को विस्तारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे सभी करदाताओं को अपने कारोबार के 8 प्रतिशत की दर पर व्यवसाय से अपनी आय घोषित करने का विकल्प होगा और इसके साथ ही वे लेखा-बहियां रखने के अनुपालन भार से छूट का फायदा उठा सकते हैं। प्रक्रिया संबंधी सरलीकरण के रूप में, मैं उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने की

छूट देते हुए अपनी विवरणी दर्ज कराते समय व्यवसाय से उनकी समुची कर देनदारी अदा करने की अनुमति का प्रस्ताव भी करता हूँ। यह नई योजना वित्त वर्ष 2010-11 से लागू होगी।

अध्यक्ष महोदया, भू-राजनीतिक माहौल के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा संरक्षण की अपनी सुविधाएं सृजित करें। तदनुसार, मैं आयकर अधिनियम की धारा 80-झख(9) के अंतर्गत करावकाश जो अब तक वाणिज्यिक उत्पादन अथवा खनिज तेल के परिष्करण से उद्भूत लाभों के संबंध में उपलब्ध था, का विस्तार प्राकृतिक गैस के लिए भी करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह कर लाभ तेल और गैस के ऐसे ब्लॉकों, जो नई उत्खनन लाइसेंसिंग नीति-बोलियों के VIII दौर के अंतर्गत दिए जाते हैं, से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन से व्युत्पन्न लाभों के संबंध में उपक्रमों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त, मैं उक्त धारा के उपबंधों में यह व्यवस्था करने के लिए भी भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ कि धारा 80-झख (9) के प्रयोजनों हेतु "अंडरटेकिंग" से अभिप्राय होगा किसी एकल संविदा में प्रदत्त सभी ब्लॉक।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, बिहार की जनता सदन की कार्यवाही वॉच कर रही है। वहां कोसी नदी के कारण जो बर्बादी हुई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं इस पर ध्यान दूंगा। लालू जी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: लालू प्रसाद जी, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है। आप कृपया बैठ जाइए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के वर्तमान उपबंधों के अंतर्गत, "पुण्यार्थ प्रयोजन" में निर्धन को राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत और "सामान्य जनोपयोगी किसी अन्य प्रयोजन को बढ़ावा देने" के लिए राहत शामिल है। तथापि "सामान्य जनोपयोगी किसी अन्य प्रयोजन को बढ़ावा देने" में व्यापार, वाणिज्य के कारोबार की प्रकृति के किसी क्रियाकलाप का निष्पादन शामिल नहीं होगा। मैं हमारे पर्यावरण (जलसंभर, वन और वन्य जीव सहित) के परिरक्षण और सुधार तथा हमारे स्मारकों अथवा स्थलों या शिल्प अथवा ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के परिरक्षण में लगे हुए न्यासों को वही कर व्यवहार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ जो निर्धन को राहत, शिक्षा और चिकित्सा राहत प्रदान करने में लगे न्यासों को उपलब्ध है।

अप्रत्यक्ष कर

अध्यक्ष महोदया, मैं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में अपने मुख्य प्रस्तावों की ओर आता हूँ।

मैं पहले **सीमा शुल्क** का उल्लेख करूंगा।

यद्यपि हमारे घरेलू उद्योग ने वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न मंदी के प्रभाव को समुत्थान शक्ति से कम कर दिया है, परन्तु इसे अभी पूरी तरह उबरना शेष है। विनिर्माण वृद्धि जो अक्टूबर 2008 में वर्षानुवर्ष आधार पर ऋणात्मक हो गई थी और इस वर्ष मार्च तक ऐसी ही बनी रही, लगता है इसमें अब थोड़ा सुधार आ रहा है। हालांकि, वैश्विक परिदृश्य चिन्ताजनक बना हुआ है और मेरा यह विचार है कि उद्योग को स्थिर ढांचा उपलब्ध कराए जाने की सर्वोपरि आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे प्रस्तावों में सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के साथ-साथ सेवा कर के समग्र कर ढांचे को बनाए रख कर इसे प्राप्त करने का प्रयास है। मैं यह अवश्य बताना चाहूंगा कि मैं मिथ्यावर्णनों से उत्पन्न किसी बाध्यकारी कारण के संबंध में कार्रवाई करने में, अथवा कष्ट निवारण के लिए राहत देने में तनिक भी हिचका नहीं हूँ।

कंडिशनल एक्सेस सिस्टम के सुचारू आरंभ के लिए उनका मुक्त आयात करते हुए 2006 में सेट टॉप बॉक्स को बुनियादी सीमा-शुल्क से पूर्णतया मुक्त रखा गया था। अब चूंकि देश में उत्पादन क्षमता आ गई है, इसलिए मैं घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे सेट टॉप बॉक्स पर 5 प्रतिशत का मामूली बुनियादी सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग-विशेषतया लघु और अति लघु क्षेत्र में रोजगार सृजन की प्रबल संभावना है। मैं एलसीडी टेलीवीजन के स्वदेशी उत्पादन को सहायता प्रदान करने के लिए, एलसीडी पैनल पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना चाहता हूँ।

मोबाइल फोनों के विनिर्माण हेतु आयातित अतिरिक्त उपकरणों, कल पुर्जों और हिस्सों को 30 जून, 2009 तक 4 प्रतिशत के सेनवैट शुल्क से पूर्ण छूट उपलब्ध थी। मैं एक और वर्ष के लिए यह छूट पुनः लागू रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

कुछ स्पष्ट कारणों से निर्यातोन्मुख उद्योग क्षेत्र ने वैश्विक बाजारों में मांग में कमी के चलते प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। वर्तमान में कपड़ा उत्पाद, वस्त्र परिधान, फुटवियर के साथ खेल के सामान के निर्यातकों को उनके निर्यात के पोतपर्यन्त मूल्य के 3 प्रतिशत तक कच्चे माल, उपभोग्य वस्तुओं आदि के निःशुल्क आयात की अनुमति दी जाती है। मैं इन सूचियों में कुछ और मदों को जोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। मूल्य वर्द्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खुरदरे मूंगों को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी जा रही है।

यह अनिवार्य है कि यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दृश्य का सफलतापूर्वक मुकाबला करना है तो विद्युत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अंशदान बढ़ाना होगा। मैं पवन चालित बिजली के जेनरेटरों हेतु महत्वपूर्ण संघटक स्थायी चुंबकों पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर रहा हूँ।

मैं इन्फ्लुएंजा टीकाकरण और स्तन कैंसर हेपाटाइटिस-बी, रुमेटिक आर्थराइटिस आदि के उपचार में प्रयोग होने वाली नौ विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक दवाओं, और ऐसी दवाओं के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली स्थूल दवाओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। वे उत्पाद शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क से भी पूर्णतया मुक्त होंगे।

हृदय संबंधी उपचार में प्रयोग होने वाली दो विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक मशीनों पर भी सीमाशुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा। ये मशीनें उत्पाद शुल्क और सेनवैट शुल्क से भी पूर्णतया मुक्त होंगी।

सोने की छड़ों पर, वर्तमान में 100 रुपये प्रति दस ग्राम की विशिष्ट दर से सीमाशुल्क लगता है जबकि सोने के अन्य रूपों (आभूषणों को छोड़कर) पर 250 रुपये प्रति दस ग्राम का शुल्क प्रभार्य है। ये दरें 2004 में नियत की गई थी और सोने के दाम कई गुणा बढ़ जाने के बावजूद भी, इनकी पुनरीक्षा नहीं की गई है। मैं ये दरें क्रमशः 200 रुपये प्रति दस ग्राम और 500 रुपये प्रति दस ग्राम बढ़ाकर इस प्रभाव को आंशिक रूप से बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसी प्रकार, चांदी (आभूषण को छोड़कर) पर लगने वाला सीमा शुल्क बढ़ाकर 500 रुपये प्रति किलो ग्राम

से 1000 रुपये प्रति किलो ग्राम किया जाएगा। वास्तविक यात्री द्वारा सामान के तौर पर आयात किए जाने वाले सोने तथा चांदी, जिसमें अजड़ित आभूषण शामिल हैं, पर भी ये संशोधित दरें लागू होंगी।

अब मैं **केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों** की ओर आता हूँ।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि केन्द्र सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों की श्रृंखला की घोषणा की थी। इन पैकेजों की एक मुख्य विशेषता पेट्रोलियम-भिन्न उत्पादों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की यथामूल्य दरों में 7 दिसम्बर 2008 को सब पर लागू 4 प्रतिशत अंक तक काफी कमी करना और 24 फरवरी, 2009 को औसत सेनवैट दर में फिर से 2 प्रतिशत अंक की कमी करना था।

इन कटौतियों का एक परिणाम यह हुआ कि शुद्ध सूती कपड़ों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। हमें ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं कि पूरी छूट विनिर्माताओं को सेनवैट क्रेडिट से भुगतान किये जाने वाले निर्यात छूट लेने से वंचित करती है। मैं रेशे अवस्था के परे सूती कपड़ों के लिए पहले से प्रचलित 4 प्रतिशत की वैकल्पिक दर को बहाल करके इस स्थिति में सुधार लाने का प्रस्ताव करना चाहता हूँ।

जब से मेरे माननीय पूर्वाधिकारी द्वारा 2004 के बजट में कपड़ों के संबंध में उत्पाद शुल्क की संरचना का पुनरुद्धार किया गया है, कपास क्षेत्र और मानवनिर्मित क्षेत्र के बीच विभेदक दरें कायम रखी गई हैं। पहले के ढांचे के प्रति निष्ठा रखते हुए, मैं मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर अनिवार्य रूप से 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और फाइबर तथा यार्न की अवस्था के बाद वैकल्पिक आधार पर बहाल करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इन परिवर्तनों का अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार के मानवनिर्मित फाइबर तथा यार्न और उनके मध्यवर्तियों पर एक समान शुल्क लगेगा, जिससे ऋण संचयन की समस्या सुलझ जाएगी।

ऊन के अपशिष्ट और कपास के अपशिष्ट पर 15 प्रतिशत का सीमा शुल्क प्रभार्य होगा। इनका उपयोग सस्ते किस्म के कपड़े की वस्तुओं जैसे कम्बल और गलीचे के विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। इस सेक्टर को राहत देने के उपाय के रूप में, मैं इन मदों पर बुनियादी सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर माल तथा सेवा कर लगाने के उद्देश्य से सरकार की घोषणा से इस दिशा में कुछ और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक उपाय जो इस प्रक्रिया को सुकर बना सकता है वह है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों को

वर्तमान औसत दर अर्थात् 8 प्रतिशत के समाभिरूप बनाए रखना। मैंने वर्तमान में 4 प्रतिशत की दर वाली मदों की सूची की समीक्षा की है, यही दर, औसत दर से कम है।

इस सूची में उल्लिखित कई मदों पर लगने वाली दर को 8 प्रतिशत तक बढ़ाने का मामला मेरे समक्ष है, जिसे मैं निम्नलिखित प्रमुख अपवादों सहित इस प्रकार करने का प्रस्ताव करता हूँ:—

- * खाद्य वस्तुएं; और
- * औषध, भेषज तथा चिकित्सा उपस्कर।

कुछ मदें जिन पर मैं 4 प्रतिशत की दर बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ, ये हैं:—

- * कागज, गत्ता तथा उनसे बनी वस्तुएं;
- * जैसे प्रेशर कुकर, सस्ते बिजली के बल्ब, सस्ते फुटवियर, वाटर फिल्टर/प्यूरिफायर, सीएफएल इत्यादि जैसी आम उपभोग की वस्तुएं;
- * पानी के लिए बिजली चलित पम्प; और
- * पेराक्सिलीन;
- * ब्यौरा संबंधित अधिसूचनाओं में उपलब्ध है।

वनस्पति तेलों से प्राप्त और पेट्रो-डीजल के संमिश्रण में प्रयुक्त किए जाने वाले बायोडीजल पर इस समय उत्पाद शुल्क से छूट है। मैं अब बायोडीजल के साथ सम्मिश्रित पेट्रो-डीजल को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

देश में इस पर्यावरण अनुकूल ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए, मैं पेट्रो डीजल की तरह ही बायो डीजल पर बुनियादी सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि इन प्रस्तावों से ग्रीन बिग्रेड के चेहरों पर मुस्कान खिलेगी!

केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों संबंधी मेरे प्रस्तावों में उन गड़बड़ियों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है, जिनके बारे में विनिर्माण उद्योग शिकायत करता रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि वह उस साफ्टवेयर के निर्धारण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर सेवा पर सेवा कर लगने के बाद प्रयोग हेतु अधिकार का अंतरण शामिल है। इस मामले को सुलझाने के लिए, मैं संवेष्टित साफ्टवेयर के प्रयोग के लिए अधिकार के अंतरण में लगने वाले मूल्य को उत्पाद शुल्क तथा सीवीडी से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

निर्माण उद्योग ने निवेदन किया है कि वह कार्यस्थल पर विनिर्मित वस्तुओं पर मिलने वाली छूट हटाने के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है। मैं ऐसी वस्तुओं जिनमें कार्यस्थल पर अगला निर्माण कार्य करने में प्रयुक्त होने वाले निर्मित पूर्व कांक्रिट स्लैब अथवा खण्ड शामिल हैं, पर मिलने वाली पूरी छूट बहाल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पिछले वर्ष जून में बड़ी कारों तथा जनोपयोगी वाहनों पर प्रयोजन 24 प्रतिशत के यथामूल्य शुल्क में एक विशिष्ट घटक जोड़ा गया था। 2000 सीसी से कम की क्षमता के इंजन वाले वाहनों के मामले में यह घटक यूनिट 15,000 रुपये था जबकि उच्च क्षमता के इंजन वाले वाहनों के लिए यह प्रति यूनिट 20,000 रुपया था। इन दरों को अब एकीकृत करके 15,000 रुपये प्रति यूनिट के निम्न स्तर पर किया जा रहा है।

पेट्रोल से चलने वाले ट्रक शहरों तथा कम दूरियों के लिए परिवहन का एक उपयोगी साधन है। इन पर 20 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। मैं इन ट्रकों पर लगाने वाले उत्पाद शुल्क को घटाकर 8 प्रतिशत करने ताकि इसे डीजल से चलने वाले इसी तरह के वाहनों के उत्पाद शुल्क के बराबर किया जा सके प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क लगाने संबंधी मेरे प्रस्तावों से महिलाओं के मध्य मेरी लोकप्रियता कुछ हद तक कम होगी। मैं ब्रांडेड आभूषणों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देकर इससे उबरने का प्रस्ताव करता हूँ।

अब मैं सेवा कर संबंधी अपने प्रस्तावों की ओर बढ़ता हूँ।

शून्य दर निर्यात एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, 2007 में एक योजना घोषित की गई थी जिसमें कारखाने से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के समाशोधन के पश्चात् प्रयुक्त की गई कतिपय कर योग्य सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर की वापसी की मंजूरी दी गई थी। कुछ समय से निर्यातक समुदाय ऐसी वापसियां प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर असंतोष व्यक्त करता रहा है। विगत में प्रक्रियागत सरलीकरण के लिए किए गए कई प्रयासों से भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। लगता है कि इसका हल निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर अधिक भरोसा करने में ही है। इसे देखते हुए, मैं इस योजना में निम्नलिखित परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- * निर्यातकों द्वारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंटों तथा कमिशन एजेंटों से प्राप्त की गई सेवाओं, जहां सेवा कर अदा करने का दायित्व प्रारंभ से ही निर्यातकों पर है, पर सेवा कर की छूट होगी। इस प्रकार निर्यातकों को पहले कर अदा करने और बाद में वापसी का दावा करने की कोई जरूरत नहीं होगी।

* निर्यातकों को प्राप्त होने वाली अन्य सेवाओं के लिए मौजूदा धन वापसी तंत्र के जरिए छूट प्रदान की जाएगी। यह पोत पर्यन्त (एफओबी) मूल्य के 0.25 प्रतिशत से कम की वापसी दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन पर और इस सीमा से अधिक की वापसी मूल्य के लिए सनदी लेखाकार द्वारा दस्तावेज के प्रमाणन पर आधारित होगी।

निर्यात संवर्धन परिषद और भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईआईओ) हमारे निर्यात प्रयास के संवर्धन में बहुमूल्य सेवा प्रदान करते हैं। मैं उनकी सदस्यता पर सेवा कर के उद्ग्रहण और उनके द्वारा संग्रहित अन्य शुल्कों को 31 मार्च, 2010 तक छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

माल परिवहन क्षेत्र में सेवा कर वर्तमान में सड़क मार्ग, वायु मार्ग द्वारा, पाइपलाइनों के जरिए और कंटेनरों में माल के परिवहन पर लगाया जाता है। तथापि, भारतीय रेल द्वारा अथवा तटीय कार्गो के रूप में अथवा अंतरदेशीय जलमार्गों के जरिए ढोए जाने वाले माल पर सेवा कर नहीं लिया जाता है। माल परिवहन क्षेत्र में समान स्तर का दृष्टिकोण रखते हुए, मैं माल परिवहन के इन तरीकों पर सेवा कर लगाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस नए कर उद्ग्रहण से अनिवार्य वस्तुओं अथवा आम जनता के उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस संबंध में उपयुक्त छूट प्रदान की जाएंगी।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, वर्तमान सनदी लेखाकारों, लागत लेखाकारों और कंपनी सचिवों के साथ-साथ इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्शदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है। यद्यपि ऐसी सोच है कि विधिक परामर्शदाता अपने मुक्किल को कोई सेवा प्रदान नहीं करते हैं, परन्तु अपने माननीय पूर्ववर्ती का सम्मान करते हुए मेरी उनसे अलग राय है। इस प्रकार, मैं विधि के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सलाह, परामर्श अथवा तकनीकी सहायता पर सेवा कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। परन्तु, सेवा प्रदाता अथवा सेवा प्राप्त करने वाले के व्यष्टि होने की स्थिति में यह कर लागू नहीं होगा।

'स्टेज कैरिज परमिट' वाले और राज्य उपक्रमों द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों को सेवाकर से छूट प्राप्त है। तथापि, निजी उद्यमों द्वारा संचालित 'कान्ट्रैक्ट कैरिज परमिट' वाले वाहनों में यात्रियों की परिवहन सेवा, सेवा कर के अधीन होती है। कर व्यवहार में समानता लाने के लिए मैं ऐसे परिवहन को सेवा कर से छूट प्रदान करता हूँ।

जुलाई, 2008 में माल परिवहन एजेन्ट (जीटीए) अनेक मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए थे। माल परिवहन एजेन्टों को मार्ग में प्रदान की जाने वाली पैकिंग कार्गो की धराई-उतराई, भांडागारण जैसी कतिपय सेवाओं के संबंध में छूट की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रयोजन के लिए छूट संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। माल परिवहन एजेन्टों द्वारा यह भी मांग की गई

थी कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध पहले से शुरू की गई कार्रवाइयों को छोड़ दिया जाए। सरकार ने इस उचित मांग को स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस वायदे को पूरा करने के लिए अपेक्षित कतिपय विधायी परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में परिवर्तन करने संबंधी अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटल पर यथा समय रख दी जाएंगी।

प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रत्यक्ष करों पर पूरे वर्ष के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त होने का अनुमान है।

निष्कर्ष

चूंकि हम अपनी पांच वर्षीय यात्रा शुरू कर रहे हैं, आगे का मार्ग आसान नहीं होगा। हमें अनिश्चितताओं का सामना करना होगा और जितनी समस्याएं होंगी, उतना ही उनका समाधान होगा। मैं महात्मा गांधी के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा, "लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है जिसमें सभी की सामान्य भलाई अंतर्निहित है।" यह स्पष्ट रूप से वही कार्य है जो हमें पूरा करना है। पूरे दिल से, पूरी बुद्धिमत्ता से और पूरी इच्छा शक्ति से हमें अपने सपनों के भारत का निर्माण करने के लिए, सभी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करना और सभी अवरोधों को दूर करना है।

अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के बारे में कुछ नहीं कहा ... (व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मध्य प्रदेश सूखे से जूझ रहा है। उसको राहत देने के बारे में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। ... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-34/15/09]

अपराहन 12.39 बजे

राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 *

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 2-श्री प्रणब मुखर्जी।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एलटी-34/15/09

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूँ:—

- (1) वृहत् आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;
- (2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और
- (3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.40 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

“कि वित्त वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

अध्यक्ष महोदया: वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 पुरःस्थापित कर दिया गया है। सभा अब कल, 7 जुलाई, 2009 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.41 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 जुलाई, 2009/16 आषाढ,
1931 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के
लिए स्थगित हुई)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 06.07.2009 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।